7 राज्य • 1 केंद्रशासित प्रदेश • 19 संस्करण : उत्तर प्रदेश | उत्तराखंड | हिमाचल | जम्मू-कश्मीर | दिल्ली | हरियाणा | पंजाब | चंडीगढ़

अमर उजाला

नई दिल्ली
शनिवार, 17 दिसंबर 2016
amarujala.com

दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में चार प्रतिशत आरक्षण

नई दिल्ली (ब्यूरो)। नोटबंदी पर हंगामे के नाम रहे संसद के शीतकालीन सत्र ने दिव्यांगों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्यसभा के बाद सत्र के अंतिम दिन लोकसभा में निःशक्त अधिकार बिल पारित हो जाने के बाद इस बिल ने कानूनी जामा पहनने की सारी बाधाएं पार कर ली है। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद निःशक्तों को सरकारी नौकरियों में तीन की जगह चार फीसदी आरक्षण का लाभ हासिल होगा। इसके अलावा इनसे भेदभाव करने वालों को दो साल की सजा भुगतनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में इस बिल पर चर्चा हुई और सभी दलों ने इसका समर्थन किया। बिल पेश करते हुए सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने बताया कि अब निःशक्त जनों की 7 की जगह 21 श्रेणियां होंगी। सरकारी नौकरी में आरक्षण की सीमा तीन फीसदी से बढ़ाकर चार फीसदी कर दी गई है। इसके अलावा इनसे जुड़े मामलों को निपटाने के लिए मुख्य आयुक्त और दो आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। इस वर्ग को सरकारी नौकरियों की उम्र सीमा में भी 4 वर्ष की छूट दी जाएगी।